# नरि्यातति उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट की योजना

स्रोत: द हिंदू

## चर्चा में क्यों?

नरि्यातति उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (RoDTEP) , जिसे शुरुआत में 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, मौजूदा नरि्यात वस्तुओं पर लागू समान दरों के साथ **30 जून 2024 तक बढ़ा** दी गई है।

## RoDTEP योजना:

- **परिचय:**
  - **नरि्यातति उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (RoDTEP) भारत के नरि्यातकों** को समर्थन देने में एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है।
  - यह मौजूदा नरि्यात प्रोत्साहन योजना, मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया (MEIS) की जगह 1 जनवरी, 2021 को प्रारंभ हो गई।
    - यह परविर्तन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के फैसले से प्रेरति था, जिसने वस्तुओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिये नरि्यात सब्सिडी के प्रावधान के कारण **MEIS योजना के WTO नियमों के उल्लंघन का नरि्धारण** किया था।
  - योजना के तहत छूट नरि्यात के **FOB (फ्रेट ऑन बोर्ड)** मूल्य के अनुमत प्रतिशत के आधार पर दी जाती है और हस्तांतरणीय**शुल्क क्रेडटि/इलेक्ट्रॉनकि स्क्रपि (ई-स्क्रपि)** के रूप में जारी की जाती है, जिसका विवरण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा एक डिजिटल बहीखाते में रखा जाता है। ।
  - RoDTEP समति **राजस्व विभाग** के अंतर्गत कार्य करती है।
    - इसकी प्राथमकि ज़िम्मेदारी RoDTEP योजना के तहत विभिन्नि नरि्यात क्षेत्रों के लिये अधिकतम दरों की समीक्षा और सिफारिश करना है।
- **उद्देश्य:**
- इसका प्राथमकि उद्देश्य **नरि्यातति उत्पादों के उत्पादन और वितरण के दौरान लगने वाले शुल्कों एवं करों में छूट देकर नरि्यातकों को व्यापक सहायता** प्रदान करना है।
- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि RoDTEP **केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर करों, शुल्कों तथा लेवी को** शामलि करता है, जिन्हें किसी अन्य मौजूदा तंत्र के माध्यम से वापस नहीं किया जाता है।
- **वित्तीय आवंटन:**
  - वित्तीय वर्ष 2023-24 में, भारत सरकार ने RoDTEP योजना का समर्थन करने के लिये 15,070 करोड़ रुपए का बजट आवंटति किया है।
- **हितिधारकों की वचनबद्धता:**
  - समति ने हाल ही में नरि्यात संवर्धन परिषदों (EPC) और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़कर अपनी गतिविधियाँ शुरू की हैं।

## फ्रेट ऑन बोर्ड:

- **फ्रेट ऑन बोर्ड या फ्री ऑन बोर्ड (FOB)** एक शपिमेंट शब्द है जो आपूर्ति शृंखला में उस बिंदु को परिभाषित करता है जब कोई खरीदार या विक्रेता परविहन की जा रही वस्तु के लिये उत्तरदायी हो जाता है। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच खरीद आदेश FOB शर्तों को नरि्दिष्ट करते हैं तथा स्वामत्वि, जोखिम एवं परविहन लागत नरि्धारति करने में सहायता करते हैं।
  - **"FOB ओरजिनि"** का अर्थ है कि **खरीदार शपिमेंट बिंदु पर वस्तु का शीर्षक स्वीकार करता है** और विक्रेता द्वारा उत्पाद भेजने के बाद सभी प्रकार के जोखिम लेता है।
- यदि पारगमन के दौरान सामान क्षतग्रिस्त हो जाता है या खो जाता है तो खरीदार उसका ज़िम्मेदार होता है।
- **"FOB डेस्टिनेशन" का अर्थ है कि विक्रेता वस्तु का शीर्षक और पारगमन के दौरान सभी ज़िम्मेदारी तब तक बरकरार रखता है जब तक कि वस्तु खरीदार तक नहीं पहुँच जाती।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/scheme-for-remission-of-duties-and-taxes-on-exported-products